"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 फरवरी 2011—माघ 13, शक 1932

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2011

क्रमांक 24/चार/वि.स.उप-चु./2011/218.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के निदेश संख्या 576/3/ई.व्ही.एम./2011/एस.डी.आर. (उप), दिनांक 21 जनवरी, 2011 वि.स. निर्वाचन क्षेत्र 59-संजारी बालोद विधान सभा उप चुनाव-2011 इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के प्रयोग का राज्य के शासकीय राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-

(सुनील कुजूर)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 21 जनवरी, 2011

निदेश

संख्या 576/3/ई.वी.एम./2011/एस.डी.आर. (वि.स.).—यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले का परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे; तथा

2. यत: आयोग ने झारखण्ड में 57-खरसावां (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में 59-संजारी बालोद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में 75-खाडिआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मणिपुर में 18-कोंथाऊजम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और मध्यप्रदेश में 198-कुक्षी (अ.ज.जा.) एवं 170-सोनकच्छ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त वर्णित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध है, तथा मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के दक्षतापूर्वक संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं;

3. अत:, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा झारखण्ड में 57-खरसावां (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में 59-संजारी बालोद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में 75-खाडिआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मणिपुर में 18-कोन्थाऊजम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और मध्यप्रदेश में 198-कुक्षी (अ.ज.जा.) एवं 170-सोनकच्छ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को उन निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में उल्लिखित करता है जिसमें झारखण्ड के 57-खरसावां (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के विषय में 17 जनवरी, 2011 को अधिसूचित किए गए तथा शेष विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 21 जनवरी, 2011 को अधिसूचित किए गए उक्त राज्यों की विधान सभाओं के लिए चालू उप निर्वाचन में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन मत निर्धारित रीति से इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों के माध्यम से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए जाते हैं.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एफ. विल्फ्रेड)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 21st January, 2011

DIRECTION

No. 576/3/EVM/2011/SDR (LA-Bye).—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in 57-Kharsawan (ST) Assembly Constituency in Jharkhand, 59-Sanjari Balod Assembly Constituency in Chhattisgarh, 75-Khadia Assembly Constituency in Gujarat, 18-Konthoujam Assembly Constituency in Manipur and 198-Kukshi (ST) & 170-Sonkatch (SC) Assembly

Constituencies in Madhya Pradesh and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Assembly Constituencies, the polling personnel are will trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electroic Voting Machines;

3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specifies 57-Kharsawan (ST) Assembly Constituency in Jharkhand, 59-Sanjari Balod Assembly Constituency in Chhattisgarh, 75-Khadia Assembly Constituency in Gujarat, 18-Konthoujam Assembly Constituency in Manipur and 198-Kukshi (ST) & 170-Sonkatch (SC) Assembly Constituencies in Madhya Pradesh as the constituencies in which the votes at the current bye-elections to the Legislative Assemblies of the said states, notified on 17th January, 2011 in the case of 57-Kharsawan (ST) Assembly Constituency in Jharkhand and notified on and 21st January, 2011, in the case of the other constituencies, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By order,

Sd/-
(K. F. WILFRED)
Secretary.

[illegible] मुद्रण तथा लेखन सामग्री [illegible] शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.